(नियम 26)

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रे, झुंझुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री जयसिंह यादव झुंझुनू

बनाम

1. श्री कैलाश पुत्र बालुराम दर्जी, मै0 माताश्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, नेताजी मार्केट लुहारू चौक, गुढागौड़जी, झुंझुनू, निवासी ग्राम खारी खुर्द, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

प्रकरण संख्या– 03/2021 (खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.2.2021	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता कुलदीप सिंह बुगालिया उपस्थित। मैनें खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II)(V) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अनावेदक ने दौराने बहस निवेदन किया कि अनावेदक दुध बाहर गांव से खरीद मावा निकालकर मिठाई बनाता है। अनावेदक ने किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की है। अतः अनावेदक को धारा 26 (2)(II)(V) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./976/एक्ट/ 2021/112/ दिनांक 02.09.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ बर्फी मावा मिठाई सब स्टैन्डर्ड (Substandard Food) का होना पाया गया है, जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) (V) के उल्लंघन में आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये अनावेदक को धारा 26 की उपधारा (2) (V) में दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक कैलाश पुत्र बालुराम दर्जी, मै0 माताश्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, नेताजी मार्केट लुहारू चौक, गुढागौड़जी, झुंझुनू, निवासी ग्राम खारी खुर्द, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर को 2,000/– दो हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति [illegible] अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील आज्ञा दाखिल दफतर हो। अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:53:59 IST
Reason: SelfAttested